आम सभा (25.12.2011)

महासचिव का प्रस्ताव

ारित करने हेतु प्रस्ताव:-

. By Law के कंडिका 3 (6) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन एक वर्ष के लिए होना है। पूर्व में कोई भी आम सभा एक वर्ष में नहीं हुई है। ऐसे भी किसी भी कार्यकारिणी के लिए एक वर्ष का समय बहुत कम होता है। इस परिप्रेक्ष्य मे केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 26.12.10 की बैठक में कंडिका -8 में यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी जाय।

आपकी सहमति प्रार्थनीय है।

. By Law के कंडिका 5 (a) एवं (b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी की संख्या 27 के अतिरिक्त 5(c) के अनुसार सभी अनुमंडल/जिला/प्रमण्डल ईकाई के अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित के रूप में अनेक सदस्य को मनोनीत किया जाता है परन्तु सूचना निर्गत होने के बाद भी कार्यकारिणी कीबैठक में उपस्थित पूर्व के वर्षों से लगातार मात्र 10-15 तक ही हो पाती है। इसके उपस्थिति अधिक हो के लिए कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 16.10.11 कंडिका (2) में यह निर्णय लिया गया कि पटना मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी को आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाय।

जय संघ, जय बिहार जय भारत, संघ एकता जिन्दाबाद।

(सुशील कुमार)
महासचिव